न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 310/2022

प्रार्थीनी :– गंगादेवी पत्नी हनुमानराम जाति मेगवाल, निवासी बालोतरा, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. अशोक पुत्र जगदीश
2. नरपत पुत्र जगदीश
3. पूनम पुत्र जगदीश
4. फुसीदेवी पत्नी जगदीश जाति साद निवासीयान बालोतरा
5. सायरी पत्नी हरीराम जाति मेघवाल निवासी मूंगडा, तह0 पचपदरा जिला बाडमेर
6. युसुफ पत्नी गफुर खां, जाति घांची, निवासी बालोतरा,
7. मिश्रीमल पुत्र लिखमाराम जाति पालीवाल, जाति पालीवाल
8. बाबू खां पुत्र गफुर खां
9. मुसे खां पुत्र गफुर खां
10. युसुफ मोहम्मद पुत्र गफुर खां
11. सफी मोहम्मद पुत्र गफुर खां सभी जातियान मुसलमान, निवासी–मदर टेरेसा स्कूल के पास बालोतरा, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर ।
12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बाडमेर ।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री रूघाराम कड़वासरा , प्रार्थी अधिवक्ता

2. श्री भूपेन्द्र गहलोत विप्रार्थी संख्या 8 से 11

'आदेश'

दिनांक :– 07.07.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा रामसीन, पटवार हल्का रामसीन, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 459 रकबा 05.05 बीघा में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थीनी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया, विप्रार्थीगण बावजूद अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थीनी की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन [illegible] को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा रामसीन, [illegible] हल्का रामसीन, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 459 रकबा 05.05 बीघा मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की जाती है.और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है. और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है . और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है. इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा रामसीन, पटवार हल्का रामसीन, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 459 रकबा 05.05 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

हमने प्रार्थीनी वकील की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॅार्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा रामसीन, पटवार हल्का रामसीन, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 459 रकबा 05.05 बीघा भूमि प्रार्थीनी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079—2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीनी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीनी हकदार भी है । विप्रार्थीगण को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा रामसीन, पटवार हल्का रामसीन, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बालोतरा, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 459 रकबा 05.05 बीघा भूमि के च[illegible] सीमाज्ञान कर कच्ची नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु भू. अभि[illegible]क्षक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

बालोतरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । मौका कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थीनी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो ।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(आमोविरा)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 07.07.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 20:59:58 IST
Reason: SelfAttested